छत्तीसगढ़ विधान सभा

जुलाई, 2012 सत्र

दैनिक कार्य सूची

गुरूवार, दिनांक 19 जुलाई, 2012 (आषाढ़ 28,1934)

समय 11:00 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकत: वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (क्रमांक 22 सन् 2005) की धारा 24 की उपधारा (5) की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक एफ 1-4/2011/1-सूअप्र, दिनांक 12 मई,2011 पटल पर रखेंगे.

(2) डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (क्रमांक 22 सन् 2005) की धारा 29 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक एफ 2-4/2010/1-सूअप्र, दिनांक 4 नबम्बर,2011 पटल पर रखेंगे.

(3) डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (क्रमांक 22 सन् 2005) की धारा 29 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक एफ 2-4/2010/1-सूअप्र, दिनांक 31 जनवरी,2012 पटल पर रखेंगे.

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यानआकर्षण

(1) डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम, श्री रामदेव राम, सदस्य, सरगुजा बन वृत्त के अंतर्गत तेन्दूपत्ता संग्राहकों को पारिश्रमिक के भुगतान में विलंब किये जाने की ओर बन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री संतोष बाफना, सदस्य, बिलासपुर के तिफरा फ्लाई ओवर निर्माण में नियम विरूद्ध भूमि अधिग्रहण किये जाने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(3) श्री देवजी भाई पटेल, सदस्य, रायपुर शहर के तालाबों की सफाई, गहरीकरण एवं सौंदर्यीकरण कार्य न किये जाने की ओर नगरीय प्रशासन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(4) सर्वश्री नंद कुमार पटेल, कुलदीप सिंह जुनेजा, सदस्य, जशपुर जिला जेल ब्रेक कर कैदियों के फरार होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(5) श्री कुलदीप सिंह जुनेजा, सदस्य, प्रदेश में ओव्हर ब्रिज एवं पुल-पुलिया निर्माण कार्य में निम्न गुणवत्ता की सामग्री का उपयोग किये जाने की ओर लोक निर्माण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(6) श्री दूजराम बौद्ध, सदस्य, जिला जांजगीर-चांपा के नवागढ़ थाना क्षेत्र में पूर्व सरपंच की हत्या किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(7) डॉ. शक्राजीत नायक, सदस्य, रायगढ़ जिले के आदिवासी छात्रावास में तखत खरीदी में अनियमितता किये जाने की ओर आदिम जाति विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(8) श्री सौरभ सिंह, सदस्य, जांजगीर-चांपा जिले के बलौदा विकासखंड अंतर्गत हाईस्कूलों में शिक्षक एवं व्याख्याता की कमी होने की ओर स्कूल शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(9) श्री नंद कुमार पटेल, सदस्य, रायगढ़ तथा जशपुर जिले के अस्पतालों में एंटी स्नेक दवा उपलब्ध न होने की ओर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(10) डॉ.शिवकुमार डहरिया, सर्वश्री रविन्द्र चौबे, धर्मजीत सिंह, सदस्य, बलौदाबाजार जिला अंतर्गत ग्राम सरसींवां में सड़क दुर्घटना में घायल ग्रामीण की पुलिस की लापरवाही से मृत्यु होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(11) श्री नंद कुमार पटेल, सदस्य, जिला बस्तर, जगदलपुर की महिला मजदूर को बंधक बनाये जाने से मौत होने की ओर श्रम मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(12) श्रीमती प्रतिमा चंद्राकर, श्री भोलाराम साहू, सदस्य, राजनांदगांव जिले में संचालित संकुल केन्द्रों में मध्यान्ह भोजन योजना में अनियमितता किये जाने की ओर स्कूल शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(13) सर्वश्री नंद कुमार पटेल, मोहम्मद अकबर, सौरभ सिंह, सदस्य, प्रदेश में खाद की कालाबाजारी किये जाने की ओर कृषि मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(14) श्री कुलदीप सिंह जुनेजा, सदस्य, रायपुर में पदस्थ महिला आरक्षक के साथ सामूहिक अनाचार किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(15) श्री रविन्द्र चौबे, सदस्य, राजनांदगांव जिला अंतर्गत ग्राम पंचायत झिंझारी में निर्माण कार्यों में अनियमितता किये जाने की ओर पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(16) श्री देवजी भाई पटेल, सदस्य, प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्रों में प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों के खिलाफ कार्यवाही न किये जाने की ओर आवास एवं पर्यावरण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(17) श्री मोहम्मद अकबर, सदस्य, स्वास्थ्य विभाग में व्याप्त अव्यवस्था की ओर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(18) श्री सौरभ सिंह,सदस्य, जांजगीर-चांपा जिले में मड़वा ताप विद्युत परियोजना अंतर्गत विस्थापितों को नौकरी व न्यूनतम मजदूरी का भुगतान न किये जाने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

4. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

(1) श्री नारायण चन्देल, सभापति, रोगदा जलाशय को हस्तांतरित करने और इससे संबद्ध विषयों पर जांच हेतु गठित सदन की समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

(2) श्री रविन्द्र चौबे, सभापति, लोक लेखा समिति का अट्ठानबेवां, निन्यानबेवां, सौवां, एक सौ एक वां, एक सौ दो वां, एक सौ तीन वां, एक सौ चार वां एवं एक सौ पांच वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

क्रमश: 3

5. प्रतिवेदनों को प्रस्तुत करने की अवधि में वृद्धि करने का प्रस्ताव

(1) श्रीमती नीलिमा सिंह टेकाम,सभापति, महिलाओं एवं बालकों के कल्याण संबंधी समिति, प्रस्ताव करेंगी कि :- ग्राम हथबंध, जिला रायपुर स्थित गुरूकुल बाल आश्रम से एक बच्ची को बेचे जाने के संबंध में महिलाओं एवं बालकों के कल्याण संबंधी समिति को संदर्भित प्रकरण पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अवधि में आगामी सत्र के अंतिम दिवस तक की वृद्धि की जाये.

(2) श्री बद्रीधर दीवान, सभापति, सदस्य सुविधा एवं सम्मान समिति, प्रस्ताव करेंगे कि : - दिनांक 18 से 21 मार्च, 2010 तक बिलासपुर के विश्राम गृह एवं अन्य स्थानों पर ठहरने की व्यवस्था के दौरान शासन के निर्देशों, शिष्टाचार क्रम के पालन संबंधी कार्यवाही पर, सदस्य सुविधा एवं सम्मान समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अवधि में आगामी सत्र के अंतिम दिवस तक की वृद्धि की जाये.

(3) डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी, सभापति, प्रश्न एवं संदर्भ समिति प्रस्ताव करेंगे कि - साल बीज संग्रहण में अनियमितता के संबंध में जांच हेतु प्रश्न एवं संदर्भ समिति को संदर्भित प्रकरण पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अवधि में आगामी सत्र के अंतिम दिवस तक की वृद्धि की जाये.

(4) श्री दीपक कुमार पटेल, सभापति, विशेषाधिकार समिति, प्रस्ताव करेंगे कि -सभा की अवमानना संबंधी विशेषाधिकार समिति को जांच, अनुसंधान एवं प्रतिवेदन हेतु संदर्भित प्रकरण पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अवधि में आगामी सत्र के अंतिम दिवस तक की वृद्धि की जाये.

(5) श्री दीपक कुमार पटेल, सभापति, प्रस्ताव करेंगे कि - डॉ . अनिल खाखरिया, निवासी पुराना बस स्टेण्ड, रायपुर के विरूद्ध विशेषाधिकार समिति को जांच, अनुसंधान एवं प्रतिवेदन हेतु संदर्भित प्रकरण पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अवधि में आगामी सत्र के अंतिम दिवस तक की वृद्धि की जाये.

रायपुर
दिनांक 18 जुलाई,2012

देवेन्द्र वर्मा
सचिव.